



भारतीय मानक व्यूरो BUREAU OF INDIAN STANDARDS

Chandigarh Branch Office-I

Address: Plot No 4A,
Sector 27-B,
Madhya Marg,
Chandigarh-160019

Phones : 0172-2659072
Fax: 0172-2659072
E-Mail: mdch2@bis.org.in
web : <http://www.bis.org.in>

Registered

Our Ref :CHBO-I/CM/L 9700105418

Dated: 30/4/19

Subject: Grant of BIS Certification Marks Licence No 9700105418 as per IS 1161:2014.

मैं माधव एलोएज़ प्राइवेट लिमिटेड
गांव अकालगढ़, अमलोह-भादसों रोड
टोल प्लाजा के पास
पटियाला -147203
पंजाब

M/S MADHAV ALLOYS PRIVATE LIMITED
VILL- AKALGARH AMLOH-BHADSON ROAD,
NEAR TOLL PLAZA
PATIALA-147203
PUNJAB

Dear Madams(s)/Sir,

With reference to your application, we are pleased to inform you that the Certification Marks Licence has been granted to you to use the Standard Mark in respect of the followings:

Product: Steel Tubes For Structural Purposes

Grade/Class/Type/Variety

ERW, Grade-YST 210, NB 15 mm to up to and including NB 175 mm, Plain End, Black

1. The licence is granted on the explicit condition that you will mark entire/substantial production which conforms to the Indian Standards.

2. The number assigned to this licence is CM/L- 9700105418 which has been made operative from 2019-03-22 and is valid upto 2020-03-21. The licence number should invariably be referred to in your future correspondence.

According to sub-regulation (1) &(3) of Paragraph 5 of scheme I of Schedule II under Bureau of Indian Standards (Conformity of Assessment) Regulation, 2018, the annual licence fee of Rs. 1000.00 and the marking fee for use of standard mark as per Annexure-I of Scheme I of BIS(Conformity assessment) Regulation 2018 is payable by you with effect from 2019-03-22 for the period of validity of the licence licence in advance.

3. Minimum marking fee stipulated in Annexure -I of scheme I of BIS (Conformity Assessment) Regulation 2018 is payable by you regardless of the whether you actually mark your product or not with the Standard Mark. **Our Receipt No.** 0097PC2018003616 dated 2019-03-19 for the licence fee and the minimum marking fee for the first operative period is already issued.

4. This advance minimum marking fee will be carried over to the next year on every renewal. The actual marking fee calculated on the unit rate on the production marked or the minimum marking fee, whichever is higher shall be payable by you at the time of renewal.

5. With a view to streamlining the reporting of quantity marked, calculation and collection of marking fee on the unit rate basis, fees will be calculated on the production marked during the first nine months of operation of the licence at the time of first renewal, and on the production marked during twelve months comprising the last three months of the previous operative year and the first nine months of the current operative year, at the time of the second and subsequent renewals. In case the licence expires, the entire production marked till the expiry date shall be taken into account for calculating the marking fee payable.

6. The Scheme of Testing and Inspection as specified by BIS will have to be implemented by your organization strictly and completely. This supervision of the operation of the Scheme shall be done by a person responsible for the quality control function in your organization. Kindly inform us the name and designation of the person who will be held responsible for the operation and maintenance of the Scheme. Any future change in this respect will have to be communicated by you to us as and when these take place.

7. We are enclosing a sheet giving the preferred dimensions of the Standard Mark to enable you to prepare the designs of the Standard Mark for marking the above product Photographic reduction in any size is permissible. This will ensure the relative proportions of the different dimensions maintained. Preferred dimensions be used as far as possible.

8. On commencement of marking of your product for which you are licensed, you may advertise your product with Standard Mark in various media only during the validity of your licence. The use of Standard Mark on letterheads and publicity literature will be permitted only on receipt of your assurance that in the event of cancellation or lapsing of your licence, the Standard Mark on your letterheads, publicity literatures etc. will be destroyed/obliterated.

9. This licence is granted for your factory situated at VILL- AKALGARH AMLOH-BHADSON ROAD,NEAR TOLL PLAZA PATIALA, PATIALA,PUNJAB,INDIA 147203. Privileges under the licence shall not be exercised by any other firm company/factory etc. This licence is not transferable in the event of shifting the manufacturing and testing equipment from the licensed premises to some other place, use of Standard Mark shall be stopped till the new premises are inspected and found to be satisfactory by us in respect of manufacturing and testing facilities available there and the address of the new premises is endorsed in the licence..

Thanking You,

Yours faithfully,

*1 manit 21st
30/4/19*
SCIENTIST-F & HEAD

Encl:As above

CM / PF 615
JULY 1991

UNDERTAKING

I / We carrying on business at _____
(Full business address)

under the style of _____
(Name of the firm)

hereby undertake to abide by the terms and conditions under which CM / L _____

has been granted to us for operating Certification Marks Scheme for _____

_____ as per IS _____
(Name of the product)

Place :
Date :

Signature :
Name :
Designation :

Seal of the firm / company :



संदर्भ :एल - 9700105418

दिनांक : 30/4/19

विषय : नए लाइसेंसधारियों द्वारा विज्ञापन जारी करने सम्बन्धी हिदायतें।

महोदय,

- ब्यूरो का प्रमाणीकरण मुहरांकन लाइसेंस प्राप्त करने के पश्चात् आप लाइसेंसधारियों के उस विशाल परिवार में शामिल हो गए हैं जो ब्यूरो प्रमाणीकरण मुहर योजना को संचालित कर रहे हैं।
- जैसा कि आपको निःसन्देह विदित है कि उपभोक्ता उन उत्पादों को प्राप्त करना चाहते हैं जो मानकों के अनुरूप हों एवं वे नए बी आई एस लाइसेंसों को जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। अतः यह आवश्यक है कि दूर - दूर तक इस बात का प्रचार होना चाहिए कि आपके उत्पाद को बी आई एस लाइसेंस प्रदान किया गया है और इस प्रयोजन के लिए हम आपको सुझाव देते हैं कि आप इस तथ्य की सूचना देते हुए लाइसेंस प्राप्त उत्पादन के विवरण सहित समाचार पत्र में विज्ञापन दें। उपभोक्ता के दिमाग पर अच्छी छवि बनाते हुए विज्ञापन में वह मानक मुहर भी प्रदर्शित करें जो आपको प्रदान की गई है। क्षेत्रीय समाचार पत्रों में ऐसे विज्ञापन जारी करने से अच्छी कवरेज प्राप्त करने में लाभ हो सकता है।
- आप अन्य मीडिया जैसे रेडियो या टी वी के द्वारा भी अतिरिक्त प्रचार करने के विषय पर विचार कर सकते हैं।
- हम आशा करते हैं कि आप उपर्युक्त सुझाव को कार्यान्वित करेंगे एवं हमारा आपसे अनुरोध है कि आप अपने विज्ञापन का कलेवर (Test) पूरे विज्ञापन / वर्ष के प्रचार कार्यक्रम सहित अनुमोदन हेतु हमें भेज दें।

भवदीय,

मनोज शर्मा
 30/4/19
 निदेशक एवं प्रमुख

GENERAL INSTRUCTIONS ON SIZES OF ISI MONOGRAM TO BE USED BY LICENSEES UNDER ISI CERTIFICATION MARKS SCHEME

Refer to the Standard Mark indicated in your licence. Regarding size please note that :

- Photographic reduction in any size of Figure 1 size is permissible; and
- Preferred dimensions as given in Table 1 be used as far as possible




FIG. 1
TABLE 1 PREFERRED DIMENSIONS OF ISI MONOGRAM
All dimensions in millimeters

A	B	a	R	r	SIZE OF LETTERS
2.5	1.9	0.2	0.4	-	1.0 mm
5	3.8	0.4	0.8	0.1	1.0 mm
10	7.5	0.7	1.7	0.2	2.0 mm
20	15	1.5	3.3	0.5	3.0 mm
40	30	2.9	6.7	1.0	4.0 mm
80	60	5.9	13.4	1.9	6.0 mm
160	120	11.7	26.7	3.8	10.0 mm
320	240	23.4	53.4	7.6	16.0 mm

यह एक वैधानिक दस्तावेज है। कृपया इस दस्तावेज से कोई भी पेपर अलग न करें।

भा. मा. ब्यूरो के लाइसेंसधारियों के उत्तरदायित्व

(Responsibilities of BIS Licencees)

सामान्य

1. आई एस. आई प्रमाणन संबंधी सभी मामलों के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को नामित करें।
2. समय समय पर यथा संशोधित भा. मा. ब्यूरो प्रमाणन मुहर अधिनियम, नियमों एवं विनियमों के उपबन्धों के बारे में पता करते रहें।
3. न्यूनतम-मुहरांकन-शुल्क का अग्रिमत : भुगतान करें। यदि ऐसा समय पर नहीं होता तो आपका लाइसेंस निलम्बित किया जा सकता है।
4. विशेषत : क्वालिटी कंट्रोल विभाग के सभी संबंधित कार्मिकों को आपके लाइसेंस के साथ संलग्न किये गये अद्यतन भारतीय मानक (मानकों) एवं परीक्षण एवं निरीक्षण योजना के पेपरों की एक-एक प्रति दें। भारतीय मानक को दोबारा से मुद्रित न करें चूंकि ऐसा करना कापी राइट अधिनियम का उल्लंघन है।
5. (जहां आवश्यक हो) उत्पाद/बैंक प्राधिकारियों से पहले अनुमति प्रदान करें ताकि नमूने भा. मा. ब्यूरो के निरीक्षण अधिकारी एवं संबंधित प्रयोगशाला को उपलब्ध कराये जा सकें। किसी कठिनाई का सामना करने की स्थिति में भा. मा. ब्यूरो को सूचित करें।
6. भा. मा. ब्यूरो द्वारा निर्धारित की गई अवधि में आपके द्वारा तैयार किए गए उत्पादन की मात्रा एवं मुहरांकित किए गए उत्पादन के विवरण प्रस्तुत करें।
7. यदि आपके संगठन, उनके स्तर, फैक्टरी-परिसर, प्रबंधन, एरिया, डिजाइन एवं जिस ब्रांड पर आप मुहर लगा रहे हैं, उसके ब्रांड नाम/नामों में कोई बदलाव करते हैं तो भा. मा. ब्यूरो को तुरन्त सूचित करें।
8. आपके लाइसेंस की वैद्यता अवधि समाप्त होने से एक माह पूर्व नवीनीकरण आवेदन पत्र और शुल्क भिजवा दें। इसके लिए आवेदन करते समय, अवेदन-पत्र के साथ संलग्न 'कार्य निष्पादन शीट' में पूरा विवरण दिया जाना चाहिए।
9. लाइसेंस को रद्द कर दिये जाने/स्थगित कर दिये जाने/समाप्त कर दिये जाने की विशेष स्थिति में भा.मा. ब्यूरो के सभी निर्देशों का तुरन्त पालन करना होगा, अन्यथा आपको अधिनियमानुसार, मुकद्दमे का सामना करना पड़ेगा।

मुहरांकन

10. मानक मुहर के डिजाइन, समानुपात एवं लागू करने के तरीके के लिए भा. मा. ब्यूरो से पहले अनुमोदन प्राप्त करें। जब भी आवश्यक हो, भा. मा. ब्यूरो से मदद लें। जब आप पहली बार अपने उत्पादन पर मुहर लगायें तो भा. मा. ब्यूरो को सूचित करें।
11. जब आप उत्पादन बंद करें एवं मुहरांकन रोकें/पुनः आरम्भ करें तो भा. मा. ब्यूरो को सूचित करें। उत्पादन/मुहरांकन रोकने के समय भा. मा. मुहरांकित माल के स्टॉक की सूचना दें।
12. जिस उत्पादन के लिए आपने वैद्य लाइसेंस प्राप्त किया है/किये हैं/ उससे संबंधित भारतीय मानक/मानकों के समानुकूल वैरायटियों एवं बैचों/उत्पादन ढेरों पर ही भा. मा. ब्यूरो मुहर लागू है।

13. यदि भा. मा. ब्यूरो से पूर्व अनुमति प्राप्त नहीं की गई है, तो अन्य एजेन्सियों में उत्पादित माल पर भा. मा. मुहर न लगायें। दूसरी एजेन्सियों द्वारा आपके लिए उत्पादित माल पर भी मुहरांकन की अनुमति नहीं है।
14. लाइसेंस की स्वीकृति से पूर्व उत्पादित माल पर कभी भी भा. मा. ब्यूरो मुहर न लगायें।

निरीक्षण एवं परीक्षण

15. आपके लाइसेंस के साथ संलग्न की गई परीक्षण एवं निरीक्षण योजना में उल्लिखित निरीक्षण एवं परीक्षण के रिकार्ड रखें।
16. भा. मा. ब्यूरो के निरीक्षण अधिकारी को आपके उत्पादन लाइन एवं रिकार्ड की चैकिंग में, आपकी फैक्टरी परिसरों में परीक्षण एवं स्वतन्त्र परीक्षण के लिए नमूने/नमूनों को लेने में यथा संभव सहयोग करें।
17. भा. मा. ब्यूरो के निरीक्षण अधिकारी के आपकी फैक्टरी में पहुँचने के तुरन्त बाद संबंधित कार्मिकों की उपस्थिति एवं प्रयोगशाला / गोदाम की चाबियों, इत्यादि (यदि उपलब्ध न हो) का प्रबंध करें।
18. टेस्ट - उपकरणों को समय - समय पर अनुसंशोधित करायें एवं इसके रिकार्ड रखें।
19. आपकी क्वालिटी कन्ट्रोल विभाग में किसी प्रकार का बदलाव किये जाने पर भा. मा. ब्यूरो को सूचित करें। यदि आवश्यक हो तो आपके परीक्षण - कार्मिक को प्रशिक्षित करने के लिए भा. मा. ब्यूरो से मदद लें।
20. भा. मा. ब्यूरो के निरीक्षण अधिकारी द्वारा सील किये गये काउंटर - नमूने का परीक्षण न करें, यदि आवश्यक हो तो भा. मा. ब्यूरो की पहले अनुमति प्राप्त करें।
21. भा. मा. ब्यूरो के निरीक्षण अधिकारी द्वारा लिये गये नमूनों को लाने और ले कर जाने में होने वाले संभावित नुकसान से बचाने के लिए उसे सही ढंग से पैक करें एवं सुनिश्चित करें कि भा. मा. ब्यूरो के निरीक्षण अधिकारी की मुहर ठीक से लगी है।
22. भा. मा. ब्यूरो के निरीक्षण अधिकारी के द्वारा यथा निर्देशित एवं ब्यूरो के क्षेत्रीय कार्यालय/ब्रांच कार्यालय की सलाह पर नमूनों को शीघ्र प्रयोगशाला भेजें।
23. ध्यान दें कि यदि भा. मा. ब्यूरो का निरीक्षण अधिकारी अपने निर्धारित समय पर आपकी फैक्टरी का निरीक्षण नहीं कर पाते हैं तो उसके दौरे की संपूर्ण व्यवस्था एवं रवर्च आपको वहन करना पड़ेगा। (देखें 5,11,16 एवं 17)

भारतीय मानक ब्यूरो
Bureau of Indian Standards

मानक चिह्न के उपयोग के लिए अनुज्ञित
Licence for the use of Standard Mark

लाइसेंस सं सीएम/एल- 9700105418

Licence No. CM/L – 9700105418

यह ब्यूरो, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के आधार पर
By virtue of the power conferred on it by the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of
2016) the Bureau hereby grants to

माधव एलोएज प्राइवेट लिमिटेड
गांव अकालगढ़, अमलोह-भादसों रोड
टोल प्लाजा के पास
पटियाला – 147203
पंजाब

MADHAV ALLOYS PRIVATE LIMITED
VILL- AKALGARH
AMLOH-BHADSON ROAD,
NEAR TOLL PLAZA
PATIALA-147203
PUNJAB

को (जिसे इसमें आगे अनुज्ञितधारी कहा गया है) इसकी प्रथम अनुसूची के पहले स्तंभ में विनिर्दिष्ट मानक चिह्न का, इस अनुसूची के तीसरे स्तंभ में दी गई किस्मों पर, उपयोग करने के लिए यह अनुज्ञित प्रदान करता है। इन उत्पादित किस्मों पर चिह्न का उपयोग उक्त अनुसूची के दूसरे स्तंभ में समय-समय पर संशोधित अथवा पुनरीक्षित/संदर्भित संबद्ध भारतीय मानक (मानकों) के अनुसार/अनुरूप विनिर्मित हो।

(hereinafter called the Licensee) this licence to use the Standard Mark set out in the first column of the Schedule hereto, upon or in respect of the varieties set out in the third column of the said Schedule which is manufactured in accordance with/conforms to the related Indian Standard(s) referred to in the second column of the said Schedule as from time to time amended or revised.

2 इस अनुज्ञित में अनुबंध अनुज्ञित की शर्तों के लिए अनुज्ञितधारी उत्तरदायी हैं। यह अनुज्ञित पहली अनुसूची में यथा-उल्लिखित नाम, कारखाना के पते और अवधि के लिए विधिमान्य होगा और इसे स्कीम-1 में निर्दिष्टानुसार नवीकरत कराया जा सकता है।

2. This Licence carries obligations on part of the licensee as conditions of licence which are given in Annexure attached herewith. This licence shall be valid for the name, factory address and period as mentioned in the schedule and may be renewed as specified in the scheme-I

अनुसूची
Schedule

(अनुजप्ति सं सी एम एल- 9700105418)

(Licence No.CM/L- 9700105418)

नाम : माधव एलोएज प्राइवेट लिमिटेड

Name: MADHAV ALLOYS PRIVATE LIMITED

कारखाने का पता : गांव अकालगढ़, अमलोह-भादसों रोड, टोल प्लाजा के पास, पटियाला -147203 पंजाब

Factory Address: Village - VILL- AKALGARH AMLOH-BHADSON ROAD,
NEAR TOLL PLAZA, PATIALA-147203 PUNJAB

विधिमान्यता: बाईस मार्च दो हजार उन्नीस से इक्कीस मार्च दो हजार बीस तक

Validity: Twenty Second March Two Thousand Nineteen to Twenty First March Two Thousand Twenty

मानक चिह्न Standard Mark	भारतीय मानक Indian Standard	अनुजप्ति का विषय क्षेत्र Scope of Licence	चिह्नांकन फीस Marking Fee
(1)	(2)	(3)	(4)
IS 1161  CM/L-9700105418	भा. मा. 1161:2014 IS 1161 : 2014 सरचनात्मक प्रयोजन हेतु स्टील ट्यूब्स – विशिष्टि Steel Tubes For Structural Purposes Specification	ई आर डब्ल्यू ग्रेड-वाई एस टी 210, एन बी 15 मि मी से एन बी 175 मि मी तक तथा सहित, सादे सिरे, काले ERW, Grade-YST 210, NB 15 mm to up to and including NB 175 mm, Plain End, Black	एक वर्ष की लागू अवधि के दौरान न्यूनतम चिह्नांकन शुल्क रु. 68000/- सहित सभी इकाईयों के लिए रु. 8.7 प्रति इकाई इकाई - 1 टन एक प्रचालन वर्ष के लिए न्यूनतम चिह्नांकन शुल्क अग्रिम में देय होगी जो अगले नवीकरण में अग्रीत होगी। Rs.8.7 per unit for all the units with, a minimum marking fee of Rs. 68000/-during an operative period of one year. Unit – 1 Tonne Minimum marking fee for one operative year payable in advance which will be carried over to next renewal(s)

आज वर्ष 2019 के

माह की

तारीख को हस्ताक्षरित, मुहरबंद किया गया

Signed, Sealed and Dated this 30 day of April month of Year 2019

भारतीय मानक ब्यूरो के लिए
for Bureau of Indian Standards

Bhawana Sharma 30/4/19
Bhawana Sharma (सीएचबीओ)
Scientist (H.D.)
Head (CHBO)
भारतीय मानक ब्यूरो (उद्योग)
Bureau of Indian Standards (N.R.O.)

Annexure

(Licence No.CM/L-9700105418.)

Conditions of the licence

- (1) The design of Standard Mark shall be identical to the facsimile given in the licence.
- (2) The photographic enlargement or reduction of the Standard Mark may also be used, unless otherwise specified by the Bureau.
- (3) The licensee shall be responsible for the conformity of the goods, article, process, system or service to the Indian Standard in relation to which Standard Mark is used or applied.
- (4) The licensee shall not use the Standard Mark in relation to goods, articles, process, system or service which are non -conforming or outside the scope of the licence.
- (5) If goods and articles in relation to which a Standard Mark has been used do not conform to the requirements of the relevant standard, the Bureau may direct the licensee or his representative to recall such non-conforming goods.
- (6) The Standard Mark shall not be used or applied in relation to any goods, article, process, system or service during deferment or suspension, or, after expiry or cancellation of the licence.
- (7) The licensee shall comply with the provisions of the conformity assessment scheme under which licence is granted, including labelling and marking requirements.
- (8) The licensee shall maintain records as specified by the Bureau from time to time.
- (9) The licensee shall provide the Bureau all assistance in connection with carrying out inspection or audit at its premises.
- (10) The licensee shall provide information relating to production and use or applying of Standard Mark as and when it is required by the Bureau.
- (11) If the licence is granted to use or apply Standard Mark on goods or articles, the licensee shall provide the list of consignees, distributors, dealers or retailers to whom goods or articles with Standard Mark is supplied.
- (12) The licence shall not be transferred to any person without approval of the Bureau.
- (13) If a complaint regarding quality of any goods, article, process, system or service bearing Standard Mark is established, the Bureau may direct the licensee or his representative to repair or replace or reprocess the standard marked goods and articles.
- (14) The Bureau shall have the right to amend any of the conditions of licence by giving a notice of not less than one month to the licensee.